

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांक:- 936

दिनांक:- 22/7/2017

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 21.07.17 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति में जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के नव निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु 1.736 हैक्टेयर भूमि वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिक कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एवं उपखण्ड समिति-चकराता द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी-त्यूनी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 1.736 हैक्टेयर भूमि जो कि वन विभाग के रिखनांड रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी- चकराता की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

(अनुराग शंकर)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

(दीप चन्द्र आर्य)
जनजातीय अधिकारी
चकराता वन विभाग
देहरादून

(एस0 ए0 मुरगसन)
जिलाधिकारी, देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

पृ0स0 / डी0एल0आर0सी0 / दिनांक
प्रतिलिपि:-

- 1 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0, हरिद्वार (मुख्यालय-कालसी)

(एस0 ए0 मुरगसन)
जिलाधिकारी, देहरादून
जिलाधिकारी
देहरादून

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No. 936

Dated 22/7/2017

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that 1.736 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of P.W.D Uttarakhand for New Road Construction in Dehradun district falls within jurisdiction of Rangau Village in Chakrata Tehsils.

It is further certificated that:

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.736 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .P. & E. No 43
- (b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
जिलाधिकारी
देहरादून

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

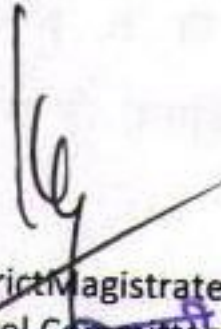
Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. S. A. Murugesan , I.A.S. District Magistrate on Dated 21.07.17 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **1.736 Hect** for the Construction of **Chakrata-Lakhamandad M/R (Goraghati) to Rangau** Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Chakrata** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Dehradun

Dated: 22.07.2017


District Magistrate
District level Committee
जिलाधिकारी
देहरादून

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-6.150 कि०मी०)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, -चकराता

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, चकराता

उपखण्ड चकराता परिक्षेत्र के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि शून्य है०, सिविल सोयम भूमि 1.736 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है० अर्थात् कुल 1.736 है० वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील-चकराता) की दिनांक ०६.०३.२०१७ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्र.पुष. सिंह (IAS) उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1 श्री उ.पुष. सिंह उपजिलाधिकारी चकराता उप जिलाधिकारी
- 2 श्री र.पुष. के. काला उप प्रभागीय वनाधिकारी कालासी सदस्य
- 3 श्री मि.क.न.क.क. सहायक समाज कल्याण अधिकारी चकराता सहायक समाज कल्याण अधिकारी
- 4 श्री केशर सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र पुनाह-गोरवरी (रंगेऊ) सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना हेतु 1.736 है० वन भूमि (शून्य है० आरक्षित वन भूमि एवं 1.736 है० सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

उप जिलाधिकारी
राय प०
वि०ख०
द०दून



संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चकराता परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 1.736 है० वन भूमि (शून्य है० आरक्षित वन भूमि एवं 1.736 है० सिविल सोयम भूमि) ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चकराता,
जनपद-देहरादून
उप जिलाधिकारी

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप जिलाधिकारी
कालसी

सहायक जिलाधिकारी
कालसी
बी० डी० सी० आर०

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- चकराता,
जनपद-देहरादून

उप जिलाधिकारी
कालसी



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-6.150 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम- रंगेऊ

तहसील- चकराता, जिला देहरादून

उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोराघाटी) से रंगेऊ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि शून्य है०, सिविल सोयम भूमि 1.736 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 1.736 है०, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रंगेऊ द्वारा दिनांक 18/02/2017 को सम्म ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रंगेऊ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० नि०ख० पी०एम०जी०एस०वाई० कालसी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

गो० नि० वि० अधिकार
राज्य प०
वि० ख० दे० दून



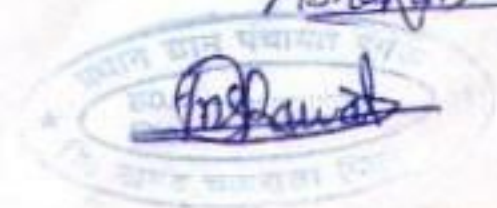
ग्राम प्रधान



दिनांक - 18/02/2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम-रंगेऊ

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जगमोहन सिंह रावत	जगमोहन
2	॥ धुम सिंह	धुम सिंह
3	॥ किशन सिंह	किशन सिंह
4	॥ सुलाव इतनी	सुलाव इतनी
5	॥ सन्तराम	सन्तराम
6	॥ माधाराम	माधाराम
7	॥ सुनील	सुनील
8	॥ विजयराज	विजयराज
9	॥ धनदास	धनदास
10	॥ प्रबु	प्रबु
11	॥ भोजन सिंह	भोजन सिंह
12	॥ खजान	खजान
13	॥ भदी	भदी
14	॥ ओमप्रकाश	ओमप्रकाश
15	॥ राजवीर सिंह रावत	R. S. Ranwal
16	॥ अनिल नोरियाल	अनिल
17	॥ राजपाल सिंह रावत	राजपाल
18	॥ परमा	परमा
19	॥ श्रीमती-कलदेई	कलदेई
20	॥ ॥ - विमला	विमला देवी
21	॥ ॥ - सरोजनी	सरोजनी
22	॥ आशाराम	Ashar



परियोजना का नाम- जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता-
लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोरघाटी) से ~~रंगेऊ~~ मोटर मार्ग के
निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-6.150 कि०मी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम - सीड़ी बरकोटी

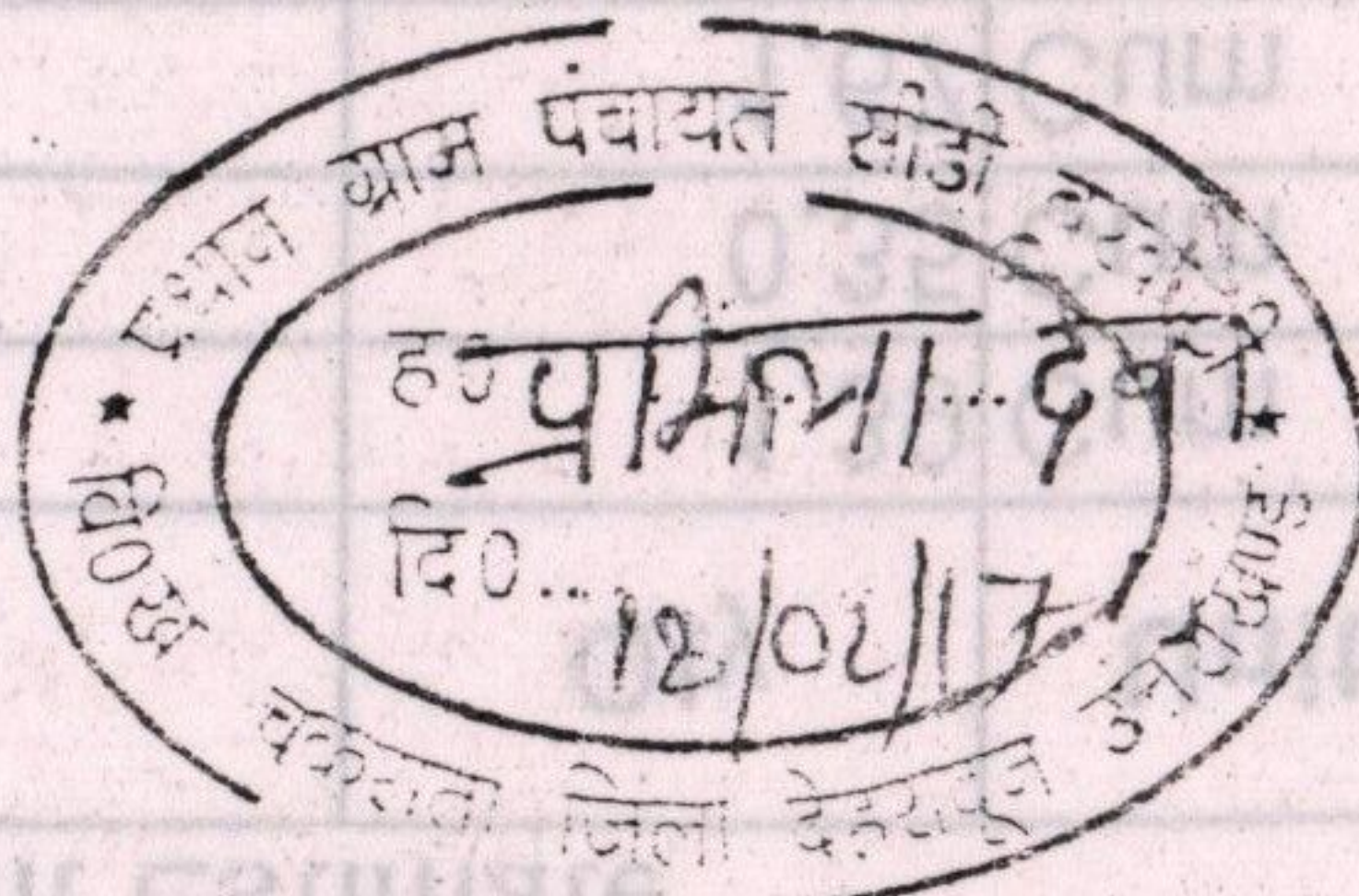
तहसील - चकराता, जिला देहरादून

उत्तराखण्ड जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता- लाखामण्डल मोटर मार्ग (गोरघाटी) से ~~रंगेऊ~~ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (आरक्षित वनभूमि शून्य है०, सिविल सोयम भूमि 1.736 है०, वन पंचायत भूमि शून्य है०) अर्थात् कुल 1.736 है०, वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सीड़ी बरकोटी द्वारा दिनांक 18.02.2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में अधिशासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सीड़ी बरकोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० नि०ख० पी०एम०जी०एस०वाई० कालसी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



ग्राम पंचायत

प्रपत्र- 23.1

दिनांक 18.02.2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम- सीडी बरकोटी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रमिला देवी	
2	सरदार सिंह	
3	तुलाराम	
4	जीवन सिंह	
5	माना सिंह	
6	लखी सिंह	
7	केसर सिंह	
8	जगत सिंह	
9	वचन सिंह	
10	शुक्ल सिंह	
11	किशन सिंह	
12	अजुन सिंह	
13	नंदराम	
14	जवाहर सिंह	
15	लाहरी सिंह	
16	लालेश	
17	किशन	
18	बलवीर सिंह	
19	दालत सिंह	
20	शुशील	
21	विनोद	
22	खडान सिंह	
23	महावीर सिंह	
24	सिद्ध	
25	सिमा राम	

